

FROM No.III


फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (SDO) (नियम 26)

अज अदालत..... वायव्य..... मुकाम.....

..... पेमा राम वर्मा बनाम ..... खेता राम वर्मा

किस्म मुकदमा..... नं. 55 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>कुम्हार किशोर चोपड़ा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 ..... पर राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>20/2/19</u> को पेश हो।</p>	
20/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अजायगीगों के नोटिस तामिल थुडा उात जिसे शामिल पत्रावली हीमा उात। अजायगीग वाकजुड तामिल अनुउपस्थित। सीनान पीडासात अधिवादी डिगार उातों में व्यात्य येने ले मिवाल इलतय दोडर आगामी दिनांडु 10/04/19 डी पेमा डी/</p>	
10/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अजायगीग वाकजुड तामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समग्र तीन बार आवाज लगाई गई। अस्तित्व आवाज 5:45 PM पर लगाई गई अजायगीग स्वयं या उनकी ओर ले बोर्ड अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। पिछाजा उन्डे किण्ड एडलाना डार्फवादी अमल में एवरी जाली है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय अहम सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने आतेगरी ऐतलो के चारों ओर पक्के नेचम त्थापित 81 वाकजुड</p>	

शाहराजु ई उसलिये आधी डा नैषमबनी आवेइत  
 स्वीकार हीमा जाउए नैषमबनी मोडेवा हीमा जावे।  
 आधी के अधिकार के निवेदन पर आधी डा नैषम-  
 बनी आवेइत स्वीकार हीमा जाउए तदमीलडाए वापस  
 हो अधिकार निमुक्त हीमा जाला ई व मोडेका  
 डिमा जाला ई कि काय स्वयं या अपने अधिकार  
 गिला भी भू अधिकार निरिहउ से आधी के धारणी  
 धारणी ही चकरी नैषमबनी मोडे पर कुलु जमा-  
 डराइए हरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर कागज  
 पत्रावली की पत्रावली जैसल सुधार की दर्ज नम्बर  
 से इस ही, दाखिल दाखल ही

10-4-2019  
 शाहराजु (SDO)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 139

दिनांक:- 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पेमाराम पुत्र हुकमाराम वगैरा 6  
जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी,  
बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. खेताराम पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट वगैरा 50  
निवासी सुथारों की ढाणी, बोड़वा  
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 557/19

आदेश

मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 72-16 बीघा व मौजा खवालीया नाडा पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा संख्या 40, 41, 44, 204, 205, 270/39 कुल रकबा 28-00 बीघा मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 292/373 रकबा 12-15 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भूअनिरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/ 40-144

प्रतिलिपि तहसीलदार को सूचनाार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

तहसीलदार बायतु

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवार बोड़वा व सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री पेमाराम पुत्र हुकमाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र श्री नरसिंगाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10-4-2019  
सहायक कार्यालय (SPO) बायतु  
दिनांक:- 10/4/19

10-4-2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कार्यालय (SPO) बायतु